भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2015 **को राज्य सभा में**

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 330

परमाणु विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र

330. **श्री बी.के. हरिप्रसाद:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या हाल ही में परमाणु विद्युत उत्पादन में प्रमुख भागीदार के रूप में भागीदारी देने में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए उक्त क्षेत्र के साथ कोई अनुरोध/समझौता किया गया है;**

(ख) **देश में परमाणु विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र उपकरणों और सेवाओं के मामले में किस सीमा तक भागीदार हो रहा है; और**

(ग) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) **भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने, असैन्य नाभिकीय ऊर्जा पर कार्यकारी समूह की अपनी रिपोर्ट (वर्ष 2009) पर, अन्य बातों के साथ-साथ, नाभिकीय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को एक बड़े भागीदार के रूप में ला सकने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए।**

(ख) **देश में नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए उपस्करों की आपूर्ति और सेवाओं में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रणालियों, उपस्करों, संघटकों और संरचनाओं का निर्माण/विनिर्माण, प्रिंट अथवा डिज़ायन संबंधी विनिर्देशों के अनुसार करने के लिए स्केल और क्षमता दोनों ही दृष्टि से पिछले कुछ समय में काफी बढ़ी है। निजी क्षेत्र, उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रोड रिएक्टर के संघटक एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिसमें उपस्करों का निर्माण, संविरचन तथा उनकी स्थापना, पाइपिंग, वैद्युत, यंत्रीकरण, एवं परामर्श, अनुषंगी एवं लॉजिस्टिक सेवाएं शामिल हैं।**

(ग) **वर्तमान में, नाभिकीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में भारत के निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप जारी रहेगी। निजी क्षेत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने में एक कनिष्ठ इक्विटी साझेदार के रूप में भाग ले सकते हैं।**

****